International Research Vision (Int. Res. Vn.)
ISSN: 2454-3721
Volume 3 Issue 2: 38-40, 2017
Available online http://www.bioglobia.in

समकालीन भारत में महिला आंदोलन की भूमिका

विकाश कुमार
एम0 ए0 (इतिहास), माननीय प्रतिकुलपति कार्यालय, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा.846004, भारत
***Corresponding author's e-mail: vikashkumardbg1984@gmail.com**

Received: 24.08.2017 **Accepted: 30.08.2017**

सारांश

समकालीन भारत की महिला आंदोलन अनेक लड़ियों में पिरोया हुआ है। हरेक ने विभिन्न रंगों व बुनावटों से इसमें अपना योगदान दिया हैं। लाखों कहानियों के ताने–बाने जोड़कर आंदोलन खड़ा हुआ है। कितनी ही महिलाओं के खून–पसीने, आँसुओं, अंतरपिष्ट, सपनों, विचार और शक्तियों से आंदोलन का निर्माण हुआ।

शीर्षक विश्लेषण

समकालीन भारतीय महिला आंदोलनः

आज जब संपुर्ण विश्व मे बढ़ती गैर – बराबरी, भेदभाव गरीब और हिंसात्मक टकरावों का संकट छाया हुआ है। महिलाओं की सामूहिक ताकत का अपना अलग महत्व है। महिलाओं ने इसे अपने योगदान से विस्तृत और बहुआयामी बनाया हैं। महिला समूहों ने सामूहिक प्रयत्नों से महिलाओं की स्थिति सुधारने की कोशिश की है कि उनकी समाज, राष्ट्र और विश्व के संपूर्ण ढ़ांचे में परिवर्तन लाया जा सके। महिलाओं के अलग–अलग प्रसंगों में अर्थपूर्ण समाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन के बीज बो रही है। भारतीय महिला आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है।[1] इस आंदोलन की नींव में दलित, कामकाजी, मजदूर, निम्न मध्यम एवं उच्च महयम वर्ग सभी का योगदान हैं। उनकी अलग–अलग सामाजिक परिस्थितियां है लेकिन अनेक महिलाओं में एक इसमे की परिस्थितिओं की समस्याओं, संघर्षो एवं प्राथमिकताओं को समझने की चुनौती स्वीकार की है। आंदोलन में एक साथ चर्चा और बातचीत से खास–खास मुदुदों पर संयुक्त मंच बने है।

भारतीय महिला आंदोलनः

ऐसा नहीं है कि भीतरी मतभेद और टकराव नहीं है। कुछ टकराव वर्ग व परिस्थितिजन्य है तो कुछ साथ और नजरिए में अंतर के कारण है। मुद्दे काफी जटिल हैं। आज समकालीन विश्व में अनेक तरह के संकट छाए हुए है। महिलाओं की गैरबराबर स्थिति इसका केवल एक पहलू है। जब तक बहुत से संबधित क्षेत्र में वृहत स्तरीय परिवर्तन नहीं आता, महिलाएं अपने मुख्य लक्ष्य हासिल नहीं कर सकेगी। महिला आंदोलन के लिए यह आवश्यक है कि उसके दूसरे आंदोलनों से जुड़ावों को समझा जाए और उनको बनाए रखा जाए।[2] समकालीन भारतीय महिला आंदोलन के इतिहास मे हम अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और क्रांतिकारियों ने मिलकर संघर्ष किए हैं जबकि महिला जुड़ाव स्वाधीनता सग्रांम से भी है। जब वर्ग, जाति और लिंगीय शोषण का बाझ ढोने वाली महिला अपनी खामोशी तोड़ती है तो सामाजिक आर्थिक ढांचे की नींव हिलने लगती है। महिला आंदोलन में कुछ अलग–अलग दिखाने वाली लड़ियां हैं – स्वायत्र नारीवादी संगठन, वामपंथी महिला समूह, गाँधीवाद महिला समूह, धर्म या समुदाय तथा अलग–अलग व्यवसाय पर आधारित समूह है। महिला आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आम औरत से रिष्ता और जुड़ाव। अंततः आंदोलन की नींव उन लाखों–करोड़ों आम औरतों ने डाली है जिन्होंने सदियों से सवाल अठाए है, असंतोष जताया है, विरोध के स्वर उठाए है और असहयोग की शुरूआत की है। समकालीन महिला आंदोलन की जड़ें बुद्ध के समय में देखी जा सकती है। जब सुमंगल माता और भुट्वा ने घर–गृहस्थी और समाज के जंजाल को त्यागकर भिक्षुणी बनने का निर्णय लिया गया है। महिला आंदोलन की शुरूआत कोई अभी

हाल में नहीं हुई है न दिल्ली और मुंबई में। इसकी शुरूआत हजारों स्थानों पर हमारों तरह से हुई है।[3]

आंदोलन का इतिहास व विश्लेषण–1947–2000

आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं सदी में हमें अनेक सुधारवादी आंदोलन– जैसे विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल–विवाह पर रोक, स्त्री–शिक्षा आदि मुद्दे दिखते हैं। इसे महिला आंदोलन की पहली लहर माना जाता है। आंदोलन की दुसरी लहर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है जिसमें महिलाओं ने अनेक स्तरों पर भाग लिया। उस समय कई राष्ट्रस्तरीय महिला संगठन बने जैसे 'आल इंडिया विमेंस कांफरेंस', 'नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन विमेन' और 'विमेंस इंडिया एसोसिएशन'। इन्होंने स्त्री शिक्षा, मताधिकार, पर्दा और व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दों को उठाया जबकि महिला आंदोलन की तीसरी लहर 1947 के बाद से शुरू हुई।[4]

सन् 1947 से 1970 का समय इससे पहले और उसके बाद दोनों ही कालों के मुकाबले निष्क्रिय था। 1947 तक कई महिलाएं और महिला समूह काफी सक्रिय थे। भारत के स्वाधीन होने से उनको महसूस हुआ कि शायद उनके मुख्य लक्ष्य भी मिल गए हैं। 'ए. आई. डब्ल्यु. सी.' जैसे संगठनों ने सोचा कि अब उन्हें राजनीतिक मुद्दों से कुछ लेना–देना नहीं है। उन्होंने अपना लक्ष्य समाज कल्याण कार्यक्रम बनाया। इस दौरान महिला संगठनों ने समाज सेवा और कल्याण क्षेत्र में काफी काम किया, देश के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न सांप्रदायिक झगड़ों से काफी मार–काट, दंगे–फसाद, लूटमार एवं बलात्कार हुए वहीं महिला संगठनों ने शरणार्थियों के पुनर्वास, उनकी बुनियादी जरूरतों के उपलब्ध कराने और साप्रदायिक सद्भाव बढ़ने की दिशा में काफी काम किया। उसी काल में बंगाल मे तैभागा और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना– दो वामपंथी आंदोलन– विकासित हो रहे थे। कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में यह उन क्षेत्रों के गरीब किसानो की जमींदार और पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई थी। उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रजी हुकूमत खत्म होने के बाद भी वे तो गुलाम ही रहे। उनका जैसा शोषण पहले हो रहा था वैसा ही होता रहा। इन दोनों ही आंदोलनों में कृषक महिलाओं की बहुत सक्रिय भागीदारी थी। उन्होंने किसान भाइयों के साथ उनके संघर्ष में तो हिस्सा लिया ही, साथ ही साथ अनेक जेंडर संबंधी मुद्दे– पत्नियों की पिटाई, औरतों पर घर का अतिरिक्त भार व जिम्मेदारियां आदि भी उठाए।[5] तेलंगाना में उनकी लड़ाई जमींदारों, महाजनों और निजाम द्वारा किए जाने वाले शोषण से थीं जब 1948 में उस क्षेत्र में सैन्य बल भेजा गया तो वे उनसे भी लड़े। तेलंगाना आंदोलन में कई आक्रमक महिला एक्टीविस्ट उभरकर आई, जैसे कामरेड स्वराज्यम्, अखता कमला देवी, सरोजनी, चकली, इलाम, प्रमिला महेंद्र और जमालुन्निसा बेगम। उन्होंने 'आंध्र महिला सभा', आंध युवती मंडल' और 'महिला संघम' संगठन भी बनाए। वे सैन्य शक्ति के खिलाफ भी लड़ीं और लिंगीय समानता, घरेलू हिंसा, बाल–विवाह, बहुविवाह, घर से निकलने पर रोक–टोक आदि भीतरी संघर्ष भी किए। तेलंगाना आंदोलन सन् 1951 तक चला, जबकि तैभागा सन् 1948 में हो कमजोर पड़ गया था दोनों आंदोलनों को भारतीय सरकार ने सैन्य शक्ति के बल पर खत्म किया। उनके नेताओं को जेल भेजा गया, सक्रिय कार्यकताओं को उत्पीड़ित किया गया एवं उनकी हत्या भी की गई।

1950 के दशक में गांधीवाद के तहत भूदान आंदोलन चला। भूदान आदोलन का उद्देश्य था संपन्न जमीदारों से जमीन लेकर भूमिरहित किसानों में बांटना। यह भूमि के पुनर्वितरण का हिंसारहित शांतिप्रिय तरीका था। यह कार्यक्रम उतर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, बिहार तथा कुछेक अन्य राज्यों में चला। इस आंदोलन में भी महिलाआ की सक्रिय भगीदारी थी। कौसानी (जिला अल्मोड़ा) स्थित 'कस्मतरबा महिला अत्थान मंडल', कुमायुं की शिक्षिकाओं और छात्राओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उतराखंड के पहाड़ी इलाकों में सरला बहन के नतृत्व मे महिलाओं ने गांव–गांव जाकर भूदान का संदेश फलाया। चुंकि ज्यादातर शिक्षिकाएं और छात्राएं स्थानीय थीं, वे गांव वालों की भाषा में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बातचीत कर सकती थी। देश के कई अन्य भागों में भी ऐसे ही प्रयत्न हुए। कुछ स्थानों पर आंदोलन काफी सफल हुआ और काफी भूमि का पुनर्वितरण हुआ, किंतु आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल रहा और धीरे–धीरे ही ठंडा पड़ गया।[6] महिला संगठनों और उनके समर्थकों को कानूनी क्षेत्र में संशोधन में भी काफी सफलता मिली। भारतीय संविधान में लिंग के आधार

पर समानता दी गई है। 1944 में हिंदु कोड बिल प्रस्तावित हुआ। इसमें कई सुधार थे, जैसे शादी के लिए रजामंदी की उम्र बढ़ाना, महिलाओं को तलाक का अधिकार, गुजारा भता, महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार और दहेज को स्त्रीधन माना जाना, परन्तु कई कांग्रेसी इसके विरूद्ध थे। अंत में 1955–56 में यह बिल कई टुकडा में बंटकर चार अलग–अलग अधिनियमों के रूप में पारित हुआ। ये अधिनियम थे–हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उतराधिकार अधियिनम, हिन्दू अल्पवयस्क व अभिभावक अधिनियम, गोद लेने एवं गुजारा भत्ता का अधिकार। यह सभी कानून काफी प्रगतिशील थे किन्तु समाज में उन्हें अभी आंशिक सफलता ही मिल सकी है। यही बात 1961 मे पारित दहेज के कानून पर भी लागू होती है, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है।[7]

निष्कर्ष

समकालीन भरतीय महिला आंदोलन का इतिहास काफी संपन्न है लेकिन अभी तक उससे संबधित लिखित दस्तावेज अपूर्ण ही ह। समकालीन महिला आंदोलन की जड़ें बुद्ध के समय में देखी जा सकती है। इसे महिला आंदोलन की लहर माना जाता है।

संदर्भ सूची

1. राधा कुमार आर्य, स्त्री संधर्ष का इतिहास (1800–1990), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002
2. साधना आर्य, निवेदिता मेनन् जिनी लोकनीता, नारीवादी राजनीति संधर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001
3. डा० अमरनाथ, नारी का मुक्ति संधर्ष, रेमाधव पब्लिकेसन्स प्राइवेट लिमिटेड, 2007
4. विश्व प्रकाश गुप्ता, मोहनी गुप्ता, स्वतंत्रता संग्राम और महिलायें, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999
5. गिरालडिन फॉरबीज, वोमेन इन मोडर्न इण्डिया, कैम्ब्रीज युनिवर्सिटी प्रेस, 1998
6. प्रतिमा जैन एवं संगीता शर्मा (संपादक) भारतीय स्त्री, रावत पब्लिकेसन्स जयपुर एवं नई दिल्ली, 1998
7. दशरथ शर्मा (स). राजस्थान थु एजेज, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, जिल्द, 1996